रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 सुमनकंवर के उक्त खेताय में से किसी प्रकार का हक बंट नहीं रखा गया है। माफिक बंट अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से यह वाद पेश किया गया है। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर की ओर से वकालतनाम मय ईकबाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र वादी अजमालसिंह, प्रतिवादी गोपालसिंह, गोविन्दसिंह, सुमनकंवर एवं मागूसिंह के प्रस्तुत किये व नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा गेलोली के खाता संख्या 347 प्रदर्ष–1 एवं मौजा गेलोली के खसरा नम्बर 512 की जमाबंदी सम्वत् 2051–54 प्रदर्ष–2 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 3 सुमनकंवर ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 अजमालसिंह के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा गेलोली का खेत खसरा नम्बर 512 रकबा 7.3248 हैक्टेयर में से रकबा 1.9425 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दसिंह के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा गेलोली का खेत खसरा नम्बर 512 रकबा 7.3248 हैक्टेयर में से रकबा 1.9425 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 गोपालसिंह के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा गेलोली का खेत खसरा नम्बर 512 रकबा 7.3248 हैक्टेयर में से रकबा 1.9425 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 मांगूसिंह के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा गेलोली का खेत खसरा नम्बर 512 रकबा 7.3248 हैक्टेयर में से रकबा 1.4973 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादीगण संख्या 3 सुमनकंवर के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 10/1/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner